न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
60/2023	3.07.2023	24.7.23

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

शिवनारायण पुत्र बद्रीलाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी खेड़ली घाटा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (वादी)

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– तहसीलदार दीगोद

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट नाम दुरूस्ती</u>

<u>निर्णय</u>

वादी की ओर से निम्न आधारो पर यह वाद पत्र पेश किया है कि:–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खेड़ली घाटा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते में खसरा नम्बर 306 की 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 307 की 0.60 हेक्टर, कुल 2 किता की 0.97 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के नाना जगन्नाथ जी के खाते दर्ज थी, जगन्नाथ जी की मृत्यु के बाद वादी उनका गोद पुत्र होने से उक्त भरूमि वादी के नाम दर्ज की गयी, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम जगन्नाथ दर्ज कर दिया जो गलत है। जब कि वादी के पिता का नाम बद्रीलाल व गोद पिता का नाम जगन्नाथ हे।

यह कि वादी के पिता का नाम बद्रीलाल है। वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड , बैंक पास बुक में भी वादी के पिता का नाम बद्रीलाल अंकित है।

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी का नाम शिवनारायण पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर शिवनारायण पुत्र बद्रीलाल , दत्तक पुत्र जगन्नाथ दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 13.06.2023 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया ओर मना कर दिया तथा अदालत से आदेश लाने को कहा। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः—

1— कि ग्राम खेड़ली घाटा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते में खसरा नम्बर 306 की 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 307 की 0.60 हेक्टर, कुल 2 किता की 0.97 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कजोडीलाल के स्थान पर कजोडमल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः—

1— नकल जमाबन्दी ग्राम खेडली घाटा की सम्वत 2074—2077
2— आधार कार्ड की छायाप्रति
3— राशन कार्ड
4— पेन कार्ड की छाया प्रति

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई।

प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा सहमति का प्रस्तुत कर नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की है कि वादी शिवनारायण पुत्र जगन्नाथ मुताबिक रेकार्ड दर्ज है। ग्राम वासियों द्वारा बताया गया है कि किशवनारायण अपने नाना जगन्नाथ के गोद जाना बताया है। अतः मृताबिक रिपोर्ट पटवारी अनुसार शिवनारायण पुत्र जगन्नाथ व शिवनारायण पुत्र बद्रीलाल जाति जाट एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रकरण में प्रतिवादी का जवाब सहमति का होने से तनकी की आवश्यकता नही होने पर पत्रावली को साक्ष्य में लिया गया। साक्ष्य में वादी की ओर से स्वंम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जो शामिल मिसल है।

प्रकरण को बहस पर नियत किया जाकर बहस वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी तहसीलदार की सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, राजस्व रिकार्ड एवं जवाब सरकार का गहन अवलोकन करने पर वादी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खेड़ली घाटा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते में खसरा नम्बर 306 की 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 307 की 0.60 हेक्टर, कुल 2 किता की 0.97 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम शिवनारायण पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर शिवनारायण पुत्र बद्रीलाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ दज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24-7-23 को सरे इजलास में न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)